



A LEGACY OF KNOWLEDGE A COMMITMENT OF HUMANITY



PROF. (Dr.) BALVIR S. TOMAR

M.B.B.S., M.D., M.C.H.(USA), M.I.A.P., M.A.H.T.(ENGLAND)
F.I.A.P.(USA), F.A.A.P.(USA), F.I.C.A.(USA), F.A.C.U.(LONDON)

Pediatric Hepatology - Kings College, London
Pediatric Gastroenterology - Harvard University, USA
W.H.O. Fellow in Child Health in USA
Common Wealth Medical Fellow in London (England)

Founder & Chancellor
Nims University Rajasthan, Jaipur



proudly announcing



BALVIR SINGH TOMAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & RESEARCH

SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE

OFFERING ADMISSION IN 150 MBBS SEATS FROM SESSION 2025-26



EQUIPPED WITH WORLD CLASS INFRASTRUCTURE AND CUTTING EDGE TECHNOLOGY EQUIPMENTS



Anatomy Lab



Physiology Lab



Biochemistry Lab



Microbiology Lab



Pathology Lab



Pharmacology



24x7 Emergency



Skill Lab



Premium Wards



Modular OT(s)



Central Lab



Library

• 650+ Beds
• 50+ ICU Beds

• 40+ Specialities
• 24x7 Emergency & Trauma Care

• Modular OT
• Critical Care

• NICU | PICU
• Dialysis

• Blood Bank
• MICU | SICU

• 3.0 Tesla MRI
• 4D Ultrasound

1152 Slice CT Scan

**Balvir Singh Tomar Institute of
Medical Sciences & Research**
24x7 Emergency Services

Add: Science Tech City,
Jaipur-Delhi Highway (NH-11C),
Jaipur-303002
www.bstmedicalcollege.com

Admission in MBBS is through NEET Counselling only
For more details please visit - www.rajugneet2025.in
Contact for more information at **+91 97999 53457**

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

देश में मतदाता सूचियों का एसआईआर यानी (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रारम्भ होने जा रहा है

चुनाव आयोग अब बिहार के बाद पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) , मतदाता सूचियों का करने जा रहा है। राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को इस हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशन जारी किये हैं और कहा है कि अपने-अपने राज्यों के मतदाता की स्थिति, गत पुनरीक्षण प्रक्रिया और वर्तमान तैयारी के बाबत प्रेजेन्टेशन तैयार करें ताकि भविष्य में शीघ्र ही विशेष बैठक में इस विशेष विषय पर चर्चा हो सके और अगला रोड मैप तैयार कर सकें।

बिहार में एसआईआर को लेकर कई रिट याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं, उनमें वैधानिक व कानूनी आपत्तियां मतदाता सूचियों के बाबत उठाई गई हैं। इस विवाद ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है, देश में जगह-2 आन्दोलन हो रहे हैं बिहार में यात्रायें निकाली जा रही हैं। रिट याचिका में SIR की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है, मतदाता सूचियों का डाफ्ट प्रकाशित हो चुका है, उन पर सुधार हेतु प्रतिवेदन मांगे गये हैं। 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाये गये हैं। सुप्रिम कोर्ट में बहस जारी है। समय-2 पर दिये गये निर्देशनों पर अमल हो रहा है। निर्णय शीघ्र होने की संभावना है।

चुनाव आयोग का मानना है कि शहरीकरण और मजदूरों के पलायन व अवैध माइग्रेन्ट के और अन्य कारणों से मतदाता सूचियों में कई दोष व त्रुटियां पाई गई हैं। अतः चुनाव आयोग बहुत गम्भीरता से मतदाता सूचियों की SIR करकर शुद्धिकरण युद्ध स्तर पर कराना चाहता है और उसका संवैधानिक दायित्व भी है।

बिहार में एक बड़ी समस्या बांग्लादेश व म्यांमार व अन्य देशों से आये वहां के नागरिकों के बसने के कारण उत्पन्न हुई है, वे अवैध प्रवासी हैं। ऐसे में उनकी पात्रता की गहन जांच आवश्यक है।

उपरोक्त स्थिति में चुनाव आयोग 10 सितम्बर 2025 को राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया है, जिसमें अगली SIR पर चर्चा होगी। इस काम में लगने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को परीक्षण भी दिया जावेगा। चुनाव आयोग अधिकारियों से सुधार हेतु सुझाव भी आमंत्रित करेगा।

यहां यह कहना आवश्यक है कि किसी भी देश में जहां लोकतंत्र है, वहां चुनावों की प्रक्रिया की शुद्धता पर ही उसकी प्रगति व सफलता निर्भर करती है। भारत के संविधान को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 324 में सांसदों, विधायकों, संवैधानिक पदों के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व चुनाव आयोग को दिया है। संविधान के अनुच्छेद 326 में चुनाव में मतदाता को वयस्क मताधिकार दिया है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसे मतदाता माना है। चुनावों की प्रक्रिया क्या होगी, इसके सम्बन्ध में संसद को अधिकार दिया है, वह कानून बना कर संचालन की व्यवस्था करेगी, जो संविधान के उपबन्धों के अधीन होगी। इसका अर्थ है कि संसद का कानून किसी भी प्रकार अनुच्छेद 324, 326 में दिये गये अनुबन्धों को सीमित नहीं करेगा। साथ ही अनुच्छेद 329 में यह भी स्पष्ट कर दिया कि निर्वाचन (चुनाव) के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित कर दिया। हाँ, यदि कोई निर्वाचन सम्बन्धित मामला है तो वह चुनाव याचिका दायर कर ही निर्णित कराया जा सकेगा। चुनाव याचिका सुनने का अधिकार राज्यों के हाईकोर्ट को दिया गया है।

यहाँ लिखना समीचीन होगा कि सुप्रिम कोर्ट में जिन रिट याचिकायों की सुनवाई हो रही है वे सब रिट याचिकायें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हैं, और विषय है ‘मतदाता सूची’ अर्थात् मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ताकि मतदाता सूचियों की त्रुटियां सही की जा सके। चूँकि मतदाता केवल देश का नागरिक ही हो सकता है और नागरिक कौन है, इसका मापदण्ड संविधान के अनुच्छेद 6 से अनुच्छेद 11 में दिया गया। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की पहिचान और पात्रता की गहन जांच आवश्यक। अतः सम्मेलन में तय किया जावेगा कि ऐसे कौनसे डोक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जिनसे इस सम्बन्ध में सहायता ली जा सकती है। सुप्रिम कोर्ट ने अपने दिनांक 08.09.2025 के आदेश में मानीय खण्डपीठ ने SIR रिट्स (No. 640/2025) की सुनवाई करते हुये दिया उसमें कहा कि आधार 12वां डोक्यूमेंट की लिस्ट में लिया जावे, जिनके आधार पर Identity (पहिचान) के हेतु रिवाहड्ड वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि आधार की प्रमाणिकता की जांच भी की जा सकती है। चुनाव आयोग के एडवोकेट न्यायालय को स्पष्टीकरण देते हुये बहस की है कि नागरिकता को साबित करने के लिए आधार का उपयोग नहीं किया जा सकता और जिन डोक्यूमेंट की पहिचान (Identity) के लिए माना है, उस पर चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, चुनाव आयोग अवैध माइग्रेन्ट्स को मतदान के हेतु योग्य नहीं मान सकता, केवल उन्हीं ही मतदाता सूची से अलग किया जावेगा। बहस के हेतु 15 सितम्बर, 2025 की आगामी तारीख दी गई है। आशा है बैठक में भी इन विवादों पर चर्चा से कोई ठोस परिणाम समस्या के निदान का निकलेगा।

उपरोक्त को भली-भाँति समझने के लिये पाठकों की सुविधा के लिये संविधान के अनुच्छेद 324, 326 व 329 को यहां उद्धृत किया जा रहा है:--

“अनुच्छेद 324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।”

(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली

तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि को हो। जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस निमित्त बना ग विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(3)
(4)
(5)

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिचंद्र उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंप गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।”

“अनुच्छेद 326– लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। – लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बना ग किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम (अगरह वर्ष) की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बना ग किसी विधि के अधीन अनिवार्य, चित्तविकृति, अप्रमथ या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहिित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।”

“अनुच्छेद 329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।”

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बना ग या बना जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए को निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की ग है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बना ग विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।”

आशा की जा सकती है कि चुनाव आयोग द्वारा उक्त बैठक में स्पष्ट निर्देश जारी किये जावेंगे और शुद्ध मतदाता सूची विधिवत जारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा। चुनाव आयोग ने न्यायालय के समसक्ष अपने एडवोकेट के द्वारा, स्पष्ट किया है कि कुल 7.24 करोड वोटर्स के नामों में से 99.6३ वोटर्स ने अपने नाम डाफ्ट वोटर्स लिस्ट में शामिल करने हेतु फॉर्म भर कर दे दिये हैं। विवाद जो शेष है वह घर्ल्टु र्शुहू (अवैध प्रवासियों) का है। 65 लाख तथाकथित मतदाताओं के नाम कार्टे हैं, उसमें तीन कटेगरी के लोग हैं, मृतक, अवैध प्रवासी और वे हैं जिनके नाम दो जगह हैं। अब तक आरजेडी नेता ने केवल 265 नाम बताये हैं, जिसका नाम काटा गया है। फर्जी कागजात पेश करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

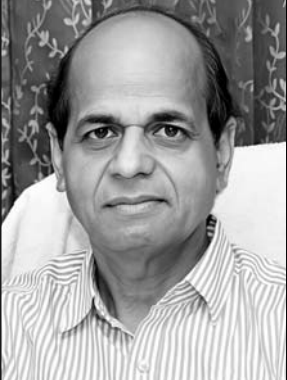
राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। बैठक में चुनाव अधिकारियों को निर्देश देते हुये स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जावे और अपात्र इसमें शामिल नहीं हो। आधार कार्ड को 11 अन्य दस्तावेजों के साथ शामिल किया जावे। राज्य के बाहर से आने वाले विदेशी अवैध प्रवासियों की जांच की जावे उनसे घोषणा-पत्र लिया जावे कि उनका जन्म 1 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में हुआ था, विकल्प में जिनका जन्म भारत में 1 जुलाई, 1987 और 2 दिसम्बर, 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने माता-पिता की जन्मतिथि/जन्म स्थान के सम्बन्ध के दस्तावेज जतये जावें। यह भी निर्देश दिये है कि चुनाव अधिकारी मतदाता घर-घर जाकर सत्यापन करें ताकि मतदाता सूची दोष मुक्त हो।

गलतियाँ हुई हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। अन्य राज्यों में एंड के विरुद्ध नई याचिकाओं का उद्देश्य भी यही है कि सभी राज्यों में शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो। मतदान करना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है न कि मूल अधिकार!

सबको सम्मति दे भगवान्!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

उपराष्ट्रपति और उनके संवैधानिक दायित्व



डॉ. कैलाश चन्द्र सैनी

नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चन्द्रपुरम मोन्साम्मी राधाकृष्णन यानी सी.पी. राधाकृष्णन के नाम के साथ ही भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण होना स्वाभाविक है।

20 अक्टूबर 1957 को जब तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ तो इनके माता-पिता ने उनके नाम के साथ राधाकृष्णन जोड़ दिया, ताकि उनका बेटा भी डॉ. एस. राधाकृष्णन की तरह बड़ा आदमी बने। माता-पिता ने जिस उम्मीद से बेटे का नाम रखा आखिर वह 9 सितम्बर 2025 को इनके उपराष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही साकार हो गई। एनडीए ने सी.पी. राधाकृष्णन को जब उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया तब उनकी माता जानकी अम्माल ने उनके नाम के पीछे की यह कहानी बताई थी।

सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 17वें तथा व्यक्तियों के हिसाब के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। निर्वाचित 15 उपराष्ट्रपतियों में डॉ. एस. राधाकृष्णन (1952–57, 1957–62) तथा मोहम्मद हामिद अंसारी (2007–2012, 2012–17) दो-दो बार इस पद पर रहे।

उपराष्ट्रपति रहे भैरोंसिंह शेखावत एवं जगदीप धनखड़ ने राजस्थान का

प्रतिनिधित्व किया। देश के 15 उपराष्ट्रपतियों में से डॉ. राधाकृष्णन, डा. जाकिरहुसैन, वी.वी. गिरि, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन आगे चलकर राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। नये उपराष्ट्रपति की शालीनता और संगठनात्मक अनुभव के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि वे संसदीय शुचिता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। उनके नेतृत्व में राज्यसभा की कार्यवाही अधिक समालेशी और उत्पादक हो सकती है, विशेषकर जब पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान के चलते संसद के कामकाज में निरंतर व्यवधान होना एक निन्दनीय परम्परा सी बनी हुई है।

हमने उपराष्ट्रपति के पद के संवैधानिक दायित्व की अवधारणा को राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली वाले अमेरिका से लिया है जहां की सीनेट (उच्च सदन) का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) के पदेन सभापति के रूप में उसकी भूमिका सभा के सुचारू संचालन और सदन की गरिमा एवं मर्यादा को बनाये रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। वह सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय लेने तथा विधेयकों और प्रस्तावों को समितियों को विस्तृत जांच के लिए सम्बन्धित संसदीय समितियों को भेजता है। राज्य सभा में किसी मामले पर मतदान के दौरान मत बराबर होने की स्थिति में, सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के निधन या पदत्याग या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नये राष्ट्रपति की नियुक्ति तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या उनकी बीमारी या अपंग कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

करने में असमर्थ होने पर उपराष्ट्रपति द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। भारत में कई बार उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया गया है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। उदाहरण है कि राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की सोवियत संघ की यात्रा के समय वर्ष 1960 में तथा बाद में उनके अस्वस्थ होने पर 1961 में उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिरहुसैन ने भी राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की अस्वस्थता व अन्य कारण से दो बार राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया।

राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के निधन पर उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने तथा राष्ट्रपति डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह के विदेश में उपचार हेतु जाने पर उनके पद के दायित्वों का निर्वहन किया। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और उन्मुक्तियां का उपयोग करते हैं। कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा वे सभी कार्य सम्पदित किये जाते हैं जो राष्ट्रपति नियमित रूप से करते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को उपसभापति द्वारा सभा का संचालन किया जाता है। सभापति के समान ही उप सभापति भी राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते समय सदन के समस्त नियमों और प्रक्रियाओं को लागू कर सकते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन में उपसभापति की भूमिका और अधिकार सभापति के समकक्ष होते हैं। आवश्यक होने पर सभापति सभा के आदेशों के

क्रियान्वयन के लिए वारंट जारी करता है।

दिनांक 21.12.1967 एवं 18.3.1982 को राज्य सभा की दर्शक दीर्घा से पर्व फेंकने व नारे लगाने वाले व्यक्तियों को साधारण कारावास का दंड देने पर सभापति ने अपराधियों को जेल अधीक्षक को सौंपने के वारंट जारी किये थे। दिनांक 21.11.1983 को दर्शक दीर्घा से नारे लगाने एवं चपल फेंकने वाले एक दर्शक को सभा ने एक संकल्प द्वारा जब सत्र की समाप्ति तक साधारण कारावास का दंड दिया तो सुपुर्दगी वारंट उप सभापति के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई वेतन नहीं मिलता। वह राज्य सभा के सभापति के रूप में ही वेतन प्राप्त करता है। उसका वेतन एवं भत्ते संसद के अधिकारी वेतन एवं भत्ता अधिनियम 1953 और इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। चूँकि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता इसलिए उसे राज्य सभा से पेंशन नहीं मिलती। भारत के उपराष्ट्रपति को पेंशन तो मिलती है लेकिन वह उसके ल्यापत्र देने या कार्यकाल की समाप्ति के बाद ‘उपराष्ट्रपति (पेंशन) एक्ट, 1997’ के अन्तर्गत मिलती है। यदि उपराष्ट्रपति दुर्व्यवहार के कारण हटाए गए हों, तो उन्हें पेंशन और बाकी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। उपराष्ट्रपति सम्बन्धी प्राधान पर संविधान सभा में 28 दिसम्बर 1948 को कोई ठोस बहस नहीं हुई थी। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 53 पर उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाना तय किया गया। यह भी निश्चित किया गया कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु प्राधून संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्भूत किसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य

के पद के कतव्यों का पालन नहीं करेगा। यह भी तय किया गया कि उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के रूप में काम करेगा तब उसे राष्ट्रपति का वह वेतन दिया जायेगा जो उस पद के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह संविधान के अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को देय वेतन और भत्तों का हकदार नहीं होता।

उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के अन्तर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा अध्यक्ष के समान राज्य सभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है जो अधिक लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। यह राज्यसभा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है। उसे भी सभापति के समान संसद के अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम के तहत वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। जब सभापति का पद रिक्त हो या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तब सभापति के कर्तव्यों का पालन उपसभापति द्वारा ही किया जाता है।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि वर्ष 2019 से लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सभा का कामकाज सभापति तालिका के सदस्यों के सहयोग से सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। ऐसे में राज्यसभा के उपसभापति को यदि सभापति के रूप में सम्पूर्ण दायित्व सौंप दिये जाये तो भी राज्यसभा का कामकाज उपसभाध्यक्ष तालिका के सदस्यों के सहयोग से सम्भ रूप से संचालित किया जा सकता है।

– डॉ. कैलाश चन्द्र सैनी,
पूर्व मुख्य शोध एवं संदर्भ
अधिकारी
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर

“ राजस्थान रत्न” कन्हैयालाल सेठिया - साहित्य की अखंड ज्योत

महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की जन्म जयन्ती पर विषेश.....



रचना सरन

“धरती धोरां री!
आ तो सुरगां नै सरमावै,
ई पर देव रमण नै आवै,
रौ जो रसन रं नारी गावै,
धरती धोरां री।”

बचपन में जब यह गीत स्कूल में सुनते थे, तब यह किसी देववाणी से कम नहीं लगता था। यह गीत राजस्थान के राष्ट्रगाण के रूप में राजस्थानी को पहचान था और मुझे बहुत अपना सा लगता था। वर्षों बाद कोलकाता में जब सिद्धार्थ सेठिया जी से भेंट हुई तो उनका परिचय भी इन पंक्तियों के साथ हुआ था की आा “धरती धोरा री” गीत के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया जी के पौत्र हैं। मेरी खुशी का पारावार ना रहा जब उन्होंने मुझे कन्हैयालाल सेठिया जी की हिन्दी कविताओं का संग्रह समग्र (खण्ड एक और दो) भेजा। जून 1947 में राजजोह्र जैथलियाजी द्वारा संपादित समग्र के दो खण्डों में सेठिया जी के हिंदी के 18 ग्रन्थों एवं उर्दू के दो ग्रन्थों का समावेश है। प्रथम खण्ड में ‘वनफूल’ से लेकर ‘अनाम’ तक के ग्रन्थों की रचनाओं को संग्रहित किया गया है। द्वितीय खण्ड में ‘निर्मथ’ से लेकर ‘गुलची’ तक के दस ग्रन्थों का संग्रह है। इन रचनाओं के शीर्षक का विस्तार ‘अ’ से वर्णमाला के

‘ह’ अक्षर तक है। क्ष,त्र,ज्ञ से प्रारंभ होने वाले शीर्षक की रचनाएं भी हैं।

‘वनफूल’ ग्रन्थ की शुरुआत से पहले सेठिया जी का संदेश है, जो उनके जीवन की दुश्भरातों का भान कराता है।वे लिखते हैं, ‘वनफूल’ आपके सामने है। यह अभी कुछ कुम्हलाया हुआ-सा है, क्योंकि निष्ठुरता की लू के झकरो प्रबल थे और जीवन की भरी दुश्हरी में यह लाया गया है।’ पहली कविता ‘कली-कली’ की कोमल अभिव्यक्ति ने उनकी मानवीय संवेदनशैलों को प्रबलता से दर्शा दिया। कविताओं में प्रेम की व्यथा, निराशा, विरक्ति, कहीं क्रोध तो कहीं संतोष का भाव उजगर होता है। सत्तर शब्दों में बड़ी बात लिख दी गई है --

“जग है कारागार!
क्रोध- द्वेष की कटु जंजीरें,
मोह- जाल की दृढ़ प्राचीरें,
बन्दी रखती है मानव को,
दे चिंता का भार।
जग है.....”

1942 में प्रकाशित ग्रन्थ ‘अग्निवीणा’ की कविताओं में तेज है, बल है, प्रेरणा है और देश के प्रति उनका हृदय में बसी भक्ति व समर्पण की भावना है। और होती भी क्यों नहीं... उन्होंने अपने छात्रजीवन के अनेक वर्ष स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित किये हैं। ‘अग्निवीणा’ पर बीकानेर राज्य में इन पर राजजोह्र का मुकदमा चला , जस्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही समाप्त हुआ। बाद में राजस्थान सरकार ने इनके स्वतंत्रता-संग्राम गीतों के रूप में सम्मानित भी किया, किंतु उन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया था। ‘मेरा युग’ 1947 ई0 में पहली बार प्रकाशित हुआ ,जिसके प्रवेश में सेठिया जी कहते हैं, “ मेरा युग आपका युग भी है। इस युग में एक और जहां

महामानव बापू की पावन तपस्या फलीभूत हुई तो दूसरी और मानव पशुओं का नशंस ताण्डव भी इसकी ही छाती पर हुआ। चरमता और निम्नता दोनों की ही स्वाभाविक आकृतियों ने युग की खिड़की से झांक कर देखा है...” यह ग्रन्थ स्वतंत्रता, बापू व उनका गांधीवाद और उस समय की सामयिकता को समर्पित है। उनकी कविता “मन्दिर–मस्जिद” आज के परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। विनोबा, माउंटबेटन, जयप्रकाश, बापू का प्यूहूरर को पत्र, दो कर्लक – जिसमें सालाजर, हिटरल और चर्चिल विषय-वस्तु है, हैदराबाद और एशिया इत्यादि ऐसी कविताएं हैं जो पाठकों को साहित्य के माध्यम से इतिहास का मर्म समझा देती हैं। 1948 में जब देशी रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान बनाया था तब माउंट आबू राजस्थान में शामिल नहीं था। वह गुजरात को दे दिया गया था। सेठिया जी ने इसके विरोध में ‘आंदोलन प्रारंभ किया और 1956 में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। “खण्डित राजस्थान” कविता में उनका आक्रोश एक एक शब्द से छलक रहा है। इस ग्रन्थ की ‘मोआखाली’ कविता ने स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सेठिया जी को अपने हाथों से आशीर्वाचन लिखकर भेजे थे। अपने प्रथम “आकाश हिमालय बोला” के लिए वे कहते हैं कि, “क्षमा कायरता का पर्यायवाची है, आक्रामक पड़ोसी कि इस प्रांत धारणा को अगर आने वाली पीढ़ी संशोधित कर सकी तो मूक हिमालय के बोलने की मेरी कल्पना निस्संदेह सत्य बन जाएगी।” इस संग्रह में “जननी की जय बोली”, ‘प्रयाण गीत’, ‘मोरचे का गीत!’, ‘विजय का गीत’, ‘अपना शीश चढ़ाओ तो’ जैसी ओजपूर्ण

रचनाएं अनायास ही पाठकों के मन में राष्ट्रप्रेम की लौ खुलगा देती हैं। इनमें चीन के ऊपर तंज कहेी रचनाओं ‘प्रांत चीन’, ‘चंगेजिख’, ‘सिगाही का गीत’, ‘बर्बर चीन’ इत्यादि में 1962के भारत-चीन युद्ध और चीन के दोगलेपन के प्रति रोष स्पष्ट झलकता है। समग्र एक का अंतिम ग्रंथ है “मर्म जो 1971 में प्रकाशित हुआ था , जिसके लिए स्वयं सेठिया जी कविताएं लिखी हैं।

अथ-इति मर्म मर्मज्ञो के लिए है
अल्पज्ञो और सर्वज्ञो के लिए नहीं।”

और सच में ऐसे समझने के लिए मर्मज्ञ होना आवश्यक है चंद शब्दों के ऊपर तंज कहेी रचनाओं ‘प्रांत चीन’, ‘चंगेजिख’, ‘सिगाही का गीत’, ‘बर्बर चीन’ इत्यादि में 1962के भारत-चीन युद्ध और चीन के दोगलेपन के प्रति रोष स्पष्ट झलकता है। समग्र एक का अंतिम ग्रंथ है “मर्म जो 1971 में प्रकाशित हुआ था , जिसके लिए स्वयं सेठिया जी कविताएं लिखी हैं।

यह ग्रन्थ स्वतंत्रता, बापू व उनका गांधीवाद और उस समय की सामयिकता को समर्पित है। उनकी कविता “मन्दिर–मस्जिद” आज के परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। विनोबा, माउंटबेटन, जयप्रकाश, बापू का प्यूहूरर को पत्र, दो कर्लक – जिसमें सालाजर, हिटरल और चर्चिल विषय-वस्तु है, हैदराबाद और एशिया इत्यादि ऐसी कविताएं हैं जो पाठकों को साहित्य के माध्यम से इतिहास का मर्म समझा देती हैं। 1948 में जब देशी रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान बनाया था तब माउंट आबू राजस्थान में शामिल नहीं था। वह गुजरात को दे दिया गया था। सेठिया जी ने इसके विरोध में ‘आंदोलन प्रारंभ किया और 1956 में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। “खण्डित राजस्थान” कविता में उनका आक्रोश एक एक शब्द से छलक रहा है। इस ग्रन्थ की ‘मोआखाली’ कविता ने स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सेठिया जी को अपने हाथों से आशीर्वाचन लिखकर भेजे थे। अपने प्रथम “आकाश हिमालय बोला” के लिए वे कहते हैं कि, “क्षमा कायरता का पर्यायवाची है, आक्रामक पड़ोसी कि इस प्रांत धारणा को अगर आने वाली पीढ़ी संशोधित कर सकी तो मूक हिमालय के बोलने की मेरी कल्पना निस्संदेह सत्य बन जाएगी।” इस संग्रह में “जननी की जय बोली”, ‘प्रयाण गीत’, ‘मोरचे का गीत!’, ‘विजय का गीत’, ‘अपना शीश चढ़ाओ तो’ जैसी ओजपूर्ण

रचनाएं अनायास ही पाठकों के मन में राष्ट्रप्रेम की लौ खुलगा देती हैं। इनमें चीन के ऊपर तंज कहेी रचनाओं ‘प्रांत चीन’, ‘चंगेजिख’, ‘सिगाही का गीत’, ‘बर्बर चीन’ इत्यादि में 1962के भारत-चीन युद्ध और चीन के दोगलेपन के प्रति रोष स्पष्ट झलकता है। समग्र एक का अंतिम ग्रंथ है “मर्म जो 1971 में प्रकाशित हुआ था , जिसके लिए स्वयं सेठिया जी कविताएं लिखी हैं।

मेघ	सिंह
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है।आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रहे।। नौकरांपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।

वृष	कन्या
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। राशु कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय बना रहेगा।

मिथुन	तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संपातित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।	परिवार में प्रसन्नता-बाले सकत हैं। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कर्क	वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु	मकर
परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।	घर-परिवार में अतिथियों का भव्य बनने लगेगा। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ	मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले सन्देश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।	आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटके कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



ट्रम्प के प्रबल समर्थक, राजनीति में हिंसा के प्रवर्तक की गोली मारकर हत्या

मृत चार्ली कर्क का फेमस व्यंगात्मक कथन हुआ करता था, “बंदूक से हुई कुछ हत्याएं जायज़ हैं”

एसआई भर्ती पेपरलीक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर

जयपुर, 11 सितंबर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में भर्ती रद्द करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

एसएलपी में अधिवक्ता ऋषभ संचेती ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ

■ खंडपीठ के अपीलार्थी अमर सिंह व विक्रम पंवार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केविष्ट पेश किया गया।

ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए, चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग कराने की छूट दी है, जबकि फील्ड ट्रेनिंग में कुछ हद तक ट्रेनी (प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान में पहली बार 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल मोड में - वैष्णव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लघु उद्योग भारती के “आइडियोथॉन-2025” में पुरस्कार प्रदान किये

■ अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमेरिका की तर्ज पर विश्वस्तरीय इन्क्यूबेशन, मेंटरशिप एवं फंडिंग प्लेटफार्म स्थापित करने के लिये भारत सरकार व राज्य सरकार समन्वय से काम करेंगे।

■ आइडियोथॉन में जयपुर के तन्मय व्यास और चारु वैष्णव के स्टार्टअप को प्रथम पुरस्कार मिला। रेल मंत्री ने इनके ट्रेन स्पीड कंट्रोल प्रोटोटाइप के रेलवे में परीक्षण के निर्देश दिये।

वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग अब देश में ही हो रही है, जिससे यह सेक्टर 11.5 लाख करोड़ का बन चुका है और 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहली बार 55 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक साथ ऑपरेशनल मोड में हैं। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाशचंद्र ने कहा कि उद्यमशीलता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए संगठन स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार कर रहा है। राज्य के उद्योग मंत्री (प्रथम पृष्ठ का शेष)

महिला एईएन सहित पांच कर्मचारी 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भरतपुर एसीबी टीम ने गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में छापा मारकर रंगे हाथ पकड़ा

भरतपुर, 11 सितंबर (निर्से)। धौलपुर जिले में भरतपुर एसीबी की टीम ने धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महिला एईएन समेत पांच कर्मचारियों को तीन लाख दस हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। भरतपुर एसीबी के एडिशनल

■ एसीबी एडी-एसपी के अनुसार, धौलपुर नगर परिषद के आयुक्त अशोक शर्मा की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। आयुक्त से पूछताछ की जा रही है।

एसपी अमित सिंह ने बताया कि राजकीय संवेदक ने एसीबी कार्यालय भरतपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने आरोप लगाया था कि धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में

कार्यरत एईएन प्रिया, वरिष्ठ सहायक भरत कुमार, वरिष्ठ सहायक नीरज, संविदाकर्मी हरेन्द्र और चालक देवेन्द्र बरतात के पानी निकासी का बिल पास (प्रथम पृष्ठ का शेष)

ब्लूटूथ से नकल के द्वारा चयनित दो कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार

जयपुर, 11 सितंबर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए दो कनिष्ठ लिपिकों को गिरफ्तार किया है, जो कनिष्ठ न्यायिक, सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी

■ दोनों ही गत 6-7 माह से गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे।

भर्ती की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम (प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े को बताया “विकसित भारत 2047” का आधार

भाजपा कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी अग्रवाल की नाराज़गी ने बदला माहौल, वे बिना मंच साझा किए लौटे

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान हर बुध पर वृक्षारोपण किया जायेगा तथा शहरी व ग्रामीण प्रशासन शिविर व सहकारिता सदस्यता अभियान के माध्यम से जनता के साथ जुड़ाव और गहरा किया जायेगा।

दौरान हर बुध पर वृक्षारोपण किया जाएगा। धर्मोत्तरण बिल पर कांग्रेस की

आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेसी नेता सदन में बोलने की बजाय

सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं। जाति और तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं का आ आन किया कि वे सेवा पखवाड़े को केवल एक कार्यक्रम न मानें, बल्कि इसे जनसेवा और संगठन विस्तार का अवसर समझें। (प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोनिया गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका गुरुवार खारिज कर दी।

यह याचिका गांधी के कथित तौर पर भारत की नागरिकता लेने से करीब तीन साल पहले यहां की मतदाता सूची में नाम शामिल होने के आरोप से

■ याचिका में कथित तौर पर भारत की नागरिकता लेने से तीन साल पहले मतदाता सूची में नाम शामिल होने का आरोप था।

संबंधित है। इसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी।

राज्य एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा, “हमने शिकायत खारिज कर दी है।” अदालत ने विकास त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कांग्रेस ने भाजपा व प्र.मंत्री मोदी पर व्यंगों की बौछार की

मोदी के लेख पर कांग्रेस का कटाक्ष

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 11 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मोदी के कई अखबारों में प्रकाशित लेख, जिसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर

■ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भागवत के 75वें जन्मदिन पर मोदी ने उनका जो प्रशस्ति गान किया है वह संघ नेतृत्व का समर्थन पाने की हताशा भरी कोशिश है।

उनकी प्रशंसा की, जो कांग्रेस ने संघ नेतृत्व की कृपा पाने की मोदी द्वारा की गई कोशिश के रूप में देखा है। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

— डॉ. सतीश मिश्रा —
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 11 सितंबर। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी कार और दोपहिया वाहन निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी डीलरशिप्स पर जीएसटी दरों में हुए बदलाव और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाएं। मंत्रालय के इस आदेश की आज केरल कांग्रेस समिति (के पी सी सी) ने तोखी आलोचना की।

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के जवाब में केपीसीसी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को ऐसे पोस्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। के पी सी सी ने तंज कसते हुए लिखा, “मोदी ने कार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे पुरानी और नई कीमती की सूची के साथ उनकी

■ कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि वाहन निर्माता कंपनियों के एजीक्यूटिव्स ने पुष्टि की है कि हैंवी इण्डस्ट्री मिनिसट्री ने, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स के माफत यह आदेश भिजवाया और कहा, पोस्टर में मोदी का फोटो लगाना अनिवार्य है।

■ एजीक्यूटिव ने कहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम पोस्टर का डिजाइन मंत्रालय को भिजवा रहे हैं।

■ सूत्रों के अनुसार, इस कवायद पर ऑटोमोबाइल सैक्टर का 20 से 30 करोड़ रुपया खर्च होगा।

फोटो लगाएं। हम सभी कंपनियों से अनुरोध करते हैं कि वे मोदीजी की फोटो बाई ओर लगाएं, जो पहले के उच्च जीएसटी दरों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। जूते और अंडरगारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां भी आदेश का इंतजार किए बिना अपने उत्पादों पर मोदी की फोटो लगाने की योजना बना रही हैं।”

भारी उद्योग मंत्रालय ने यह निर्देश भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के संगठन के माध्यम से जारी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर अवश्य हो। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कई वाहन कंपनियों के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे अब पोस्टरों को डिजाइन कर रहे हैं और इन्हें

जयपुर, 11 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन को जमीन पर उतारने का अभियान है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 11 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है और सेवा पखवाड़े के

केदारनाथ, 2500 रुपये में वीआईपी दर्शन का लंबा इंतजार

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 11 सितंबर। “वीआईपी लाइन के लिए 2,500 रुपये दो, या छह घंटे और इंतजार करो।” केदारनाथ धाम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर

■ भारत के सभी बड़े हिंदू मंदिरों की यही स्थिति है, चाहे वह वैदनाथ हो, द्वारका हो या हरिद्वार। एक टैपल चार्टर की मांग की जा रही है।

निकिता गुप्ता को यह दो टूक विकल्प दिया गया।

अपनी तीर्थ यात्रा के अंत तक, उनकी इस तथाकथित “आध्यात्मिक यात्रा” पर लगभग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजन लाल ने शहरी सेवा शिविर के लिए निर्देश दिये

जयपुर, 11 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर-कस्बे में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना और उनसे जुड़े समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए।

उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सेवा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन कार्यक्रम के दौरान उस समय अचानक माहौल गर्मा गया, जब प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल कार्यशाला के पहले सत्र के बाद नाराजगी के भाव में बिना मंच साझा किए ही निस्सर गए।

सूत्रों के अनुसार, कार्यशाला में कम उपस्थिति को लेकर प्रभारी नाखुश थे। उन्होंने मंच से ही कहा कि “जो पार्टी का काम नहीं करना चाहता, उसे पार्टी में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए।” उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से बिना बताए अनुपस्थित रहे सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से लिखित जवाब मांगने की बात कही। कार्यशाला में केवल 5 सांसद, 72 विधायक, 42 प्रत्याशी और 13 जिलाध्यक्ष ही पहुंचे थे, जिस पर अग्रवाल ने नाराजगी जताते हुए अनुपस्थितों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दूसरे सत्र में मंच साझा करने से पहले ही अग्रवाल कार्यशाला छोड़कर निकल गए। गुह राज्य मंत्री जवाहर बेदम उन्हें मनाने भी पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने। बाद में डॉ. अग्रवाल ने कहा कि उन्हें भाजपा नेताओं श्रवण बागड़ी और गजेन्द्र सिंह खीरसर से पूर्व निर्धारित मुलाकात के लिए निकलना था। उन्होंने कहा कि

केदारनाथ, 2500 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक लाख रुपये खर्च हो चुके थे। डेढ़ सौ रुपये में पानी की बोतल, 2,5०0 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जबरन कराए गए पूजा-पाठ, और मंदिर स्टाफ द्वारा चलाए जा रहे आवास घोटालों ने पूरी तस्वीर को और भी गंभीर बना दिया।

ऐसी ही कहानियाँ बैद्यनाथ, हरिद्वार और द्वारका जैसे अन्य पवित्र स्थलों से

‘मोदी कार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1500 सीसी डीजल) पर कर घटाकर, 18 प्रतिशत (पहले 29-31 प्रतिशत) कर दिया है, जबकि बड़ी कारों (4 मीटर से अधिक, 15०0 सीसी से ऊपर की ईंधन क्षमता और 170 मिमी से अधिक ग्राउंड क्लियरेंस) पर कर घटाकर, 40 प्रतिशत (पहले 50

मोदी के लेख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर उनके लिए लिखा गया “हृद से ज्य्‍यादा स्‍तुतिपरक लेख” संघ नेतृत्व को रिझाने की “हताशा भरी कोशिश” है। प्रधानमंत्री मोदी ने भागवत की बौद्धिक गहराई और परोपकार से भरे नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2०09 से आरएसएस प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल संगठन की 1०0 साल की यात्रा का सबसे परिवर्तनकारी दौर माना जाएगा। गुरुवार (11 सितंबर 2025) को कई लेखबानों में प्रकाशित एक प्रशंसात्मक लेख में, मोदी ने कहा कि भागवत “वसुधैव कुटुंबकम” के जीवन्त उदाहरण हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन और सद्भाव व भाईचारे की भावना को सशक्त करने के लिए समर्पित किया है कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व की कृपा पाने की व्यग्रता में मोहन भागवत के 75 वें जन्मदिन पर हृद से ज्य्‍यादा

उन्होंने कहा कि इन शिविरों में नागरिकों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर समाधान किया जायेगा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर चलने वाले इस अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता एवं सेवाभाव के साथ कार्य करें।

नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर और मैनहोल की मरम्मत की जाएगी एवं प्रमुख चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों और सार्वजनिक स्थलों का

सौन्दर्यीकरण होगा।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की फ्लेगशिप योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति दी जाएगी।

- शिविर से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अभियान के दौरान शहरों में व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था, सुनिश्चित करें तथा नालियों, सीवर लाइन, फेरो कवर व मैन होल की मरम्मत करायें।

उल्लेखनीय है कि पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है, जिसके तहत अब यह शिविर।5 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खरा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

ट्रम्प के प्रबल समर्थक, ...

- ट्रंप का नारा “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” और इस दर्शन के अंतर्गत चलाए गए अभियान ने अमेरिका के समाज में गहरी खाइयां बना दी हैं, जिसकी कीमत अब अमेरिका चुका रहा है।

वहां राजनीति में विचारों और मुद्दों पर मतभेद होते थे, लेकिन निजी जीवन में डेमोक्रेट्स और चुनाव व्यवस्था पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2०16 में उनका चुनाव “चुरा” लिया, जब जो बाइडन विजेता घोषित किए गए।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति में एक अलग तरह का वैमनस्य भर दिया। इससे पहले तक

महिला एईएन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने के एवज में अलग-अलग तरीके से रिश्तत की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 35 से 40 लाख रुपए का ठेकेदार का खिल था।

गत एक साल से ठेकेदार को परेशान किया जा रहा था। ठेकेदार की शिकायत मिलने के बाद मामले का गुप्त तरीके से भौतिक सत्यापन कराया गया। भौतिक सत्यापन में मामला सही पाए जाने के बाद गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापा मारकर पांच कर्मचारियों को 3 लाख 1० की राशि के साथ रों हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि

एसआई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसआई को स्वतंत्र निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है। इसके अलावा, एकलपीठ ने जिन रिपोर्ट्स के आधार पर भर्ती को रद्द करने योग्य माना था, खंडपीठ ने उन रिपोर्ट्स को अप्रमाणित मान लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट राफेल केस में तय कर चुका है कि दस्तावेज किसी भी

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंद्रकर की संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें 1० दिनों तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। राष्ट्रपति संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 2०1 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा पर विवाद से जुड़े राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंद्रकर की संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें 1० दिनों तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

राष्ट्रपति संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 2०0/2०1 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे।

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद

‘खुले बाजार में पदों की नीलामी हो रही है’

हैदराबाद, 11 सितंबर। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ग्रुप-एक के पदों को बेचकर तेलंगाना के बेरोजगार युवाओं को धोखा दे रही है।

राव ने गुरुवार के अपने बयान में कथित घोटाले के लिए एक न्यायिक जांच और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। राव ने रिपोर्टें

- बीआरएस के अध्यक्ष, के.टी. रामाराव ने तेलंगाना सरकार पर नौकरियां बेचने का आरोप लगाया।

और छात्रों के आरोपों को लेकर चिंता व्यक्त की, जिनमें कहा गया है कि नौकरियों के लिए भारी मात्रा में धन की मांग की गई थी और दावा किया कि सरकार ने “खुले बाजार में पदों की नीलामी की।”

उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी, जिन्होंने अपने सालों की मेहनत और संसाधन लगाए हैं, को अपनी उम्मीदें कुचली नजर आ रही हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए राव ने मांग की कि ग्रुप-एक प्रारंभिक परीक्षा बिना अनियमितता के दोबारा करायी जाये।

सीआरपीएफ का आरोप , सुरक्षा प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे राहुल

कांग्रेस ने सीआरपीएफ की रिपोर्ट को राहुल का आंदोलन रोकने की कोशिश करार दिया

- सीआरपीएफ ने कहा, राहुल विदेश यात्रा की जानकारी भी नहीं देते हैं और भीड़ से मिलते हैं।
- कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा यह राहुल को डराने की कोशिश है असल में सरकार राहुल की वोट चोरी विरोधी मुहिम से डर गई है।

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। केंद्रीय

रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं लेकिन इसकी सूचना नहीं दी जाती है जो सरासर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस संबंध में सीआरपीएफ की तरफ से पत्र लिखकर कहा गया है कि गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं और बिना सूचना दिये विदेश यात्रा कर रहे हैं। सुरक्षा बल ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे परेशान होकर यह पत्र लिखना पड़ रहा है।

सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख सुनील जून ने खड़गे को बुधवार को लिखे पत्र में लिखा है कि गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

गांधी को इस साल की विदेश यात्राओं का विस्तारपूर्वक जिक्र करते हुए जून ने कहा है कि पिछले नौ माह में

भारतीय नागरिक

रूसी सेना में शामिल होने के झांसे में नहीं आयें

नयी दिल्ली, 11 सितंबर। रूस की सेना में कुछ भारतीय नागरिकों की भर्ती की मीडिया रिपोर्टों के बीच, विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को आगाह किया है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव के

- विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को इसके खतरों से फिर आगाह किया।

झांसे में न आए, क्योंकि इसमें कई जोखिम हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि, हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों को भर्ती की खबरें देखी हैं। सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस तरह की

कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और तदनुसार भारतीय नागरिकों को आगाह किया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने मार्क्सो और यहां, दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और अनुरोध किया है कि इस प्रथा को समाप्त कर हमारे नागरिकों को वापस भेजा जाना चाहिए।

मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक भाजपा का सेवा पखवाड़ा

- सेवा पखवाड़े में मोदी के जीवन व उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जायेंगी।

मेराथन”, खेल महोत्सव और ड्राईंग प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। भाजपा पखवाड़े में गुरुवार को केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेन्द्र यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत

और उसे तुरंत सार्वजनिक करने की मंशा परेशान करने वाली है। उनका कहना है कि गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर लिखे पत्र और उसे सार्वजनिक करने का समय सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा, ””यह पत्र ऐसे समय में आया है जब गांधी चुनाव आयोग की मिलीभाज से भाजपा द्वारा की जा रही वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। क्या यह विश्वक के नेता को डराने की एक छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने पहले ही एक और खुलासे की घोषणा कर दी है। क्या सरकार उनके द्वारा उजागर किये जाने वाले सच से घबरा गयी है।””

गौरतलब है कि गांधी को जैड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है जो गंभीर खतरों की आशंका वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।

ब्लूटूथ से नकल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से नकल कर चर्चनित हुए थे। फिलहाल एसओजी की टीम उनसे पूछताछ करने में जुटी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चर्चनित हुए कनिष्ठ लिपिक राम प्रकाश जाट निवासी कुचेरा जिला नागौर और सुनील विश्नोई निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।

सिंह ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से कनिष्ठ न्यायिक, सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2०22 12 मार्च 2०23 एवं 19 मार्च 2०23 को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई थी, जिसमें आरोपी राम प्रकाश जाट का परीक्षा केन्द्र विजयन डी. स्री जैन

राजस्थान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कौशल विकास में संगठन की भूमिका को सराहना की, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने तकनीकी शिक्षा में हुई प्रगति को साझा किया। आईडियोथॉन में जयपुर के तन्मय व्यास और चारु वैष्णव के स्टार्टअप को प्रथम पुरस्कार मिला। रेल मंत्री ने

इनके –बनाए ट्रेन स्पीड कंट्रोल प्रोटोटाइप को रेलवे में परीक्षण करने का निर्देश भी दिया। कार्यक्रम में स्टोनगट–2०26 के ब्रोशर का विमोचन भी हुआ। इस मौके पर लघु उद्योग भारती प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, महेंद्र खुराना, नरेश पारीक, नटवरलाल अजमेरा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक भाजपा का सेवा पखवाड़ा

- सेवा पखवाड़े में मोदी के जीवन व उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जायेंगी।

विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री नेन्द्र मोदी के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी तथा समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद और सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत समाज के विभिष्ट व्यक्तियों की सम्मानित करने के साथ-साथ 771 संवाद कार्यक्रम भी देशभर के सभी प्रांतों में आयोजित किए जाएंगे।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का 17 सितंबर को जन्मदिवस है और उन्होंने भारत की राजनीति में सेवा, स्वच्छता जैसे मौलिक विषयों को सबके सामने स्थापित किया है।

छत्तीसगढ़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली ढेर

गरियाबंद, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उमूलन अभियान को गुरुवार को तब बड़ी सफलता मिली, जब सुरक्षा बलों ने एक करोड़ के इनामी नक्सली समेत दस नक्सलियों को मार गिराया।

आज सुबह थाना मैंगपुर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की सक्रियता की सूचना मिलने के बाद ई 3०, विशेष सुरक्षा बल और कोबरा की संयुक्त टीम घटनास्थल की ओर रवाना हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लंबी और तीव्र मुठभेड़ हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेवा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ में माओवादी केन्द्रीय कमिटी के कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। माना जा रहा है कि इनमें एक प्रमुख नक्सली मनोज भी शामिल है, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। राखेवा ने बताया कि अभियान पूरी तरह से सुरक्षा बलों की रणनीति के तहत संचर हुआ।